

गन्धार व ताली
अधिकांश जो
की तालीन म


पटवारी हल्का राजपुर वडा 1/5 राजू

मु.न. 94/2022 पेश तिथी 4-10-22 निर्णय दिनांक 27-6-23

27-6-23 आज पत्रावली पेश हुई/रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार संक्षेप में स्पष्ट निम्न प्रकार है कि गैर सामल राजू पूरा होराती जाति बंगारा त्रिवाली राजपुर वडा ने ग्राम राजपुर वडा के आराजी खसरा नम्बर 244/2303 रकबा 14.47 है. ग्राम-बारागाह में 0.01 है. ग्रामि पर धक्का मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। गैर सामल के विरुद्ध प्रकरण राजस्थान गू.राज्य अधीनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्ट्रार कर गैर सामल को लगे लागू हुये 1948 दिनांक 4-10-22 से तलब किया गया. गैर सामल उपाध्ये/एच जलब पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। एच उक्त अतिक्रमण के सम्बन्ध में निवेदन किया गया कि गैर सामल का 40 वर्ष पूर्व से बना हुआ मकान है। एच विधुत मनेकरण आदि लोखा है। कार्यालय ड्राफ्ट करने का निर्देश किया गया।

उक्त प्रकरण ले सम्बन्धित एक पत्रावली पूर्व से दर्ज रजिस्ट्रार मिसल नं. 110/2020 डेकर जेकरा है। जो शामिल पत्रावली की गई, जिले में माननीय सिविल न्यायाधीश मधेदप बारागाह के पंच से स्थान कोडेटा है शामिल मिसल की गई, गैर सामल को उक्त अतिक्रमण के सम्बन्ध में पुनः नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सामल बारागाह ताली के अनुपाध्ये: गैर सामल को उक्त अतिक्रमण के सम्बन्ध में कुछ नही कहे स्वगत है। एच आराजी खसरा नम्बर 244/2303 पर वर्तमान में किली नी अक्षय न्यायालय का संयोज प्राप्त नही होने पर अतिक्रमी काबिल नो दरखली है।


अतः गैर सामल को आराजी खसरा नम्बर 244/2303 रकबा 0.01 है ग्रामि से बंदखली के कोडेटा सिद्धे जाते है। एच शाली एक रुप 1-00 रुपये की 50 गुणा 50/2 पंचायत रूपेय कायम की जाती है।


तहसिलदार
राजगढ़ जिला अल्वर

लगाना

श्री. आनीलेश्वर निरीसक, पटवारी हाका
 राजपुर बडा को चिदपती एवं पैनाली वसुली
 हेतु लिखा जावे, तदधीन राजस्व लेखकार
 को राजस्व लेखो मे मांग कायमी हेतु लिखा
 जावे, यथा वली फेसल शुमार होकर नंबर दे
 का हो।

निर्णय आज दिनांक 27-6-2023 को
 स्थले न्यायालय में सुनाया गया।


 तहसिलदार
 राजपुर

रा. ले. स. 4 वर्ष... 20... 24
 के पृष्ठ संख्या... 37... पर... 50/-
 राशि कायम किये गये।
 त. रा. लेखाकार